

7

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-151/2023-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मेधा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोच, गया के द्वारा दिनांक-25.10.2021 से 23.03.2023 तक एवं दिनांक-01.12.2023 से 15.12.2023 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1140(25), दिनांक-02.07.2024 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक-25.10.2021 से 23.03.2023 तक - कुल-515 (पाँच सौ पन्द्रह) दिन शिशु देखभाल अवकाश के रूप में।
(ii) दिनांक-01.12.2023 से 15.12.2023 तक - कुल-15 (पन्द्रह) दिन शिशु देखभाल अवकाश के रूप में।

2. इस अवकाश के पश्चात डा० मेधा के पक्ष में 200 (दो सौ) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

3 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-151/2023-

1729 [25]

पटना, दिनांक 24/7/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि . असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गयाजी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोच, गया/कोषागार पदाधिकारी, गयाजी/डा० मेधा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोच, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/7/2026
सरकार के अवर सचिव।

4